



2026:AHC:17533

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 928/2026

सलमान

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए श्री मनोज कुमार सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक सलमान की ओर से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352, 109 (1), 3 (5) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत थाना लोनी, जिला गाजियाबाद के मुकदमा अपराध संख्या- 373/2025 के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित विचारण के दौरान जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह 5.8.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर के साथ-साथ धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज किए गए वादी मुकदमा के बयान में कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। चोटिल के बयान के आधार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर उनका नाम अभिलेख में लाया गया है। एफआईआर 17 घंटे विलंबित है और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस मामले में आरोप पत्र 29.9.2025 को दाखिल की गई है और उस पर संज्ञान पहले ही 17.10.2025 को लिया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहाई के मामले में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या सबूतों के साथ छेड़-छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का घोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़-छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामला, किन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना, यह प्रकरण जमानत योग्य है।

तदनुसार, जमानत आवेदन को **अनुमति दी जाती है।**

उपर्युक्त मामले में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक **सलमान** को, संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप धनराशि के उसके व्यक्तिगत बंध-पत्र और उसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतें निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं और मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से प्रस्तुत होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति क्षमा नहीं की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने के लिए अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।